

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक : 05 अगस्त, 2016


संख्या : 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0प्र0-10730/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान रु.15,600-39,100+ग्रेड पे-7600/-) में प्रोन्नति दी जाती है-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	सुश्री नीलम गुप्ता(2000)	दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्त	दिनांक 01.01.2009 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
2	श्री सैयद परवेज आलम(2000)	दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्त	दिनांक 01.01.2009 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
3	श्री ललन जी(2000)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार	दिनांक 01.01.2009 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
4	श्री प्रकाश कुमार(2000)	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2009 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
5	श्री शशि भूषण कुमार(2000)	संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2009 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
6	श्री अरुण कुमार मिश्रा(2007)	संयुक्त सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2016 अथवा गैर-राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
7	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह(2007)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ।	दिनांक 01.01.2016 अथवा गैर-राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।
8	श्री उदय कुमार सिंह(2007)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर।	दिनांक 01.01.2016 अथवा गैर-राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो।

9	श्री बैद्यनाथ यादव (2007)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल ।	दिनांक 01.01.2016 अथवा गैर-राज्य असेैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो ।
---	---------------------------	--------------------------------------	---

2. श्री प्रकाश कुमार(2000), श्री शशि भूषण कुमार(2000) एवं श्री अरुण कुमार मिश्रा(2007) द्वारा धारित उपर्युक्त मूल पदों (अर्थात्; अतिरिक्त प्रभार को छोड़कर) को अगले आदेश तक भा0प्र0से0 के अपर सचिव ग्रेड में पदनामित भी किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कन्हैया लाल साह)


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0 प्र0-10730/पटना-15, दिनांक : 05 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


सरकार के अवर सचिव